3.4.24

अधिवक्ताओं की आज न्यायिक कार्य स्थगित होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई, दिनांक 22/5/24 को पेश हों।

रीडर

नोट प्रेस
वादी एडव.
कादी
R/104[illegible]/96

22.5.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट प्रेस अंकित करते हुए पत्रावली नहीं चलाने का कथन किया गया है। पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत है। वादी वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद नोट प्रेस किए जाने से इलीव्हल पर अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल हुआ, हस्ब नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.12.05 11:44:20 IST
Reason: SelfAttested

(रिया डाबी)
IAS